



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 9-2026/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, JANUARY 14, 2026 (PAUSA 24, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जनवरी, 2026

संख्या 09/05/2026-4CII.— हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 (2016 का 14) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्रों को अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्रों के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	कालोनी का क्षेत्रफल (एकड़ में)	राजस्व	संपदा/खसरा	नगरपालिका का नाम	ज़िला
1.	महाराणा प्रताप कालोनी	6.90	बब्याल	17 / / 21, 22, 23 / 1 मिन, 41, 42, 21 / / 5 / 2, 6 मिन, 7 / 1 मिन, 26 मिन, 22 / / 1 / 2, 2, 3 मिन, 4 / 1, 4 / 2, 5, 8 / 1, 8 / 2 मिन, 9 मिन, 26,0 / / 119	नगरपरिषद अम्बाला सदर	अम्बाला
2.	सोनिया कालोनी एक्सटेंशन	49.21	करधन	7 / / 16 मिन, 17, 18 / 1, 18 / 2, 19 मिन, 21 मिन, 22 / 1, 22 / 2, 23, 24 / 1, 24 / 2, 25 8 / / 20 मिन,		

			शाहपुर	16 / / 1, 2, 3 मिन, 8 मिन, 9, 10, 11, 12 / 1, 12 / 2, 13 / 1, 13 / 2 मिन, 17 मिन, 18 मिन, 19, 20, 21, 22 मिन, 23 मिन, 17 / / 1 मिन, 2 मिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 1 / / 25, 2 / / 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मिन, 22 / 1 मिन, 23, 22 / 2 मिन, 24, 25 3 / / 2 मिन, 3, 4, 7 / 1 मिन, 7 मिन, 8 / 1 मिन, 8 / 2 मिन, 9 मिन		
			घसीटपुर	1 / / 16, 25 2 / / 20, 21, 22 / 1 3 / / 1 / 1, 1 / 2, 2 / 2, 10 / 1 मिन 4 / / 5 / 2, 6 / 2 / 1, 6 / 2 / 2, 6 / 2 / 3, 7 / 1, 7 / 2		
			नन्हेड़ा	5 / / 9 मिन, 10 मिन, 11 मिन, 12, 20, 21, 6 / / 9 / 1 मिन		
3.	गुरु नानक कालोनी (12771)	4.40	करनाल	1163 मिन, 1164 मिन, 1197 मिन	नगर निगम करनाल	करनाल
4.	हेरिटेज लॉन के पास (12758)	3.23	करनाल	8509 मिन, 8510 मिन, 8529 मिन, 8530 मिन, 8532 मिन, 8533, 8534 मिन।		
5.	निसान पब्लिक स्कूल कालोनी और बलजीत एन्क्लेव (12764)	5.00	मंगलपुर	9 / / 26, 27 मिन।		
6.	निर्मल विहार कालोनी (13258)	6.71	करनाल	6707 मिन, 6708 मिन, 7309 मिन, 7310 मिन, 7312 मिन, 7313 मिन, 7314 मिन, 7315 मिन, 7317 मिन, 7318 मिन, 7319 मिन, 7320 मिन, 7321 मिन, 7322 मिन		

7.	आर.के.पुरम एक्सटेंशन (12628)–	8.65	मंगलपुर	6 / / 16 मिन, 25 मिन, 7 / / 18 मिन, 19 मिन, 20 मिन, 21, 22 मिन, 23 मिन, 13 / / 1, 2 मिन, 10, 11 / 1 मिन, 14 / / 4 / 2 मिन, 5, 6 / 1 मिन		
8.	कालोनी आईडी नंबर 295	2.25	पलवल	88 / / 6 मिन, 7 मिन, 14 मिन, 15 / 1 मिन, 15 / 2 मिन, 15 / 3, 16 / 1 मिन, 89 / / 11 / 1, 11 / 3, 21 / 1 मिन	नगरपरिषद पलवल	पलवल
9.	लाल चंद प्रिया बेरी गेट एवं कंवर कालोनी (13063)	17.58	झज्जर	144 / / 21 मिन, 31 मिन, 32 मिन, 33 मिन, 34, 35 मिन, 145 / / 6, 7, 8 मिन, 13 मिन, 14 मिन, 15, 16 मिन, 25 मिन, 155 / / 5 मिन, 6 मिन, 156 / / 1, 2, 7 मिन, 8 मिन, 9 मिन, 10 मिन, 11 मिन, 12 मिन, 13 मिन, 14 मिन, 15 मिन, 17 मिन, 27 मिन, 28 मिन, 31 मिन	नगरपरिषद झज्जर	झज्जर

उपरोक्त क्षेत्र/कालोनी की परिसीमाएं संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तुत की गई अनुमोदित अभिन्यास योजना में निर्दिष्ट की गई है और संबंधित मण्डल आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों द्वारा विधिवत् सिफारिश की गई है। हाई टेंशन लाइन या गैस / पेट्रोलियम पाइप लाइन से प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भूखंडों, अभिन्यास योजना और विकास योजना में दिखाई गई प्रस्तावित सड़क, हरित पट्टी / प्रतिबंधित पट्टी के संरक्षण पर, हाई टेंशन लाइन को हटाने और विकास योजना में संशोधन तक इस अधिसूचना के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।

नगरपालिकाएं संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के उपबंधों और सरकार के निर्देशों के अनुसार अधिसूचित कालोनी/बहुभुज की गलियों / सड़कों को सार्वजनिक गली घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगी।

आवासीय उपयोग के लिए अनुमति मांगने तक वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और आवासीय से भिन्न अन्य उपयोगों पर इस अधिसूचना के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।

अरुण कुमार गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 14th January, 2026

No. 09/05/2026-4CII.— In exercise of the powers conferred under section 3 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 (14 of 2016), the Governor of Haryana hereby declares the following areas as specified in the Schedule given below to be the civic amenities and infrastructure deficient areas, namely: -

SCHEDULE

S. No.	Name of Colony	Area of colony (In Acres)	Revenue	Estate/Khasra No.	Municipality Name	District
1	Maharana Partap Colony	6.90	Babyal	17//21, 22, 23/1min, 41, 42, 21//5/2, 6min, 7/1min, 26min, 22//1/2, 2,3min, 4/1, 4/2, 5, 8/1, 8/2min, 9min, 26, 0//119	Municipal Council Ambala Sadar	Ambala
2	Sonia Colony Extension	49.21	Kardhan	7//16min, 17, 18/1, 18/2, 19min, 21min, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25 8//20min 16//1, 2, 3min, 8min, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2min, 17min, 18min, 19, 20, 21, 22min, 23min 17//1min, 2min, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 1//25, 2//12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21min, 22/1min, 23, 22/2min, 24, 25 3//2min, 3, 4, 7/1min, 7min, 8/1min, 8/2min, 9min Ghasitpur 1//16, 25 2//20, 21, 22/1 3//1/1, 1/2, 2/2, 10/1minm 4//5/2, 6/2/1, 6/2/2, 6/2/3, 7/1, 7/2 Nanhera 5//9min, 10min, 11min, 12, 20, 21, 6//9/1min		
3	Lal Chand Priya Beri Gate & Kanwar Colony (13063)	17.58	Jhajjar	144// 21min, 31min, 32min, 33min, 34, 35min 145// 6,7, 8min, 13min, 14min, 15, 16min, 25min 155// 5min, 6min, 156//1, 2, 7min, 8min, 9min, 10min, 11min, 12min, 13min, 14min, 15min, 17min, 27min, 28min, 31min.		Jhajjar

4	Guru Nanak Colony (12771)	4.40	Karnal	1163min, 1164min, 1197min	Municipal Corporation Karnal	Karnal
5	Near Heritage Lawn (12758)	3.23	Karnal	8509min, 8510min, 8529min, 8530min, 8532min, 8533, 8534min.		
6	Nisan Public School Colony & Baljeet Enclave 12764 -	5.00	Mangalpur	9// 26, 27min.		
7	The Nirmal Vihar Colony (13258)-	6.71	Karnal	6707min, 6708min, 7309min, 7310min, 7312min, 7313min, 7314min, 7315min, 7317min, 7318min, 7319min, 7320min, 7321min, 7322min.		
8	R.K. Puram Ext (12628)-	8.65	Mangalpur	6//16min, 25min, 7//18min, 19min, 20min, 21, 22min, 23min, 13//1, 2min, 10, 11/1min, 14//4/2min, 5, 6/1min		
9	Colony ID No. 295	2.25	Palwal	88//6min, 7min, 14min, 15/1min, 15/2min, 15/3, 16/1min 89//11/1, 11/3, 21/1min	Municipal Council Palwal	Palwal

The boundaries of the above area/ colony are indicated in the approved layout plan submitted by the concerned municipalities and duly recommended by the Divisional Commissioners and District Municipal Commissioners concerned. The plots falling under influence zone of high-tension line or gas/ petroleum pipeline, alignment of proposed road, green belt/ restricted belt shown in layout plan and Development Plan shall not be considered under this notification till removal of high-tension line and revision in Development Plan.

The Municipalities shall initiate procedure for declaring street/roads of the notified colony/polygon, as public street as per the provisions of the respective Municipal Acts and instructions from the Government.

The commercial, industrial, institutional and uses other than residential shall not be considered under this notification till seeking permission for residential use.

ARUN KUMAR GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 जनवरी, 2026

संख्या 09/05/2026-4CII.— हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 (2016 का 14) की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्रों को अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना क्षेत्रों के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्: —

अनुसूची

क्रम संख्या	कालोनी का नाम	कालोनी का क्षेत्रफल (एकड़ में)	राजस्व	संपदा/खसरा संख्या	नगरपालिका का नाम	ज़िला
1	1564 (फ्रेंड्स कालोनी क्षेत्र)	2.19	मंडी डबवाली	712 मिन, 1980 मिन, 1983 मिन,	नगरपरिषद मंडी डबवाली	सिरसा
2	1572 (विवेकानंद कालोनी)	0.54	मंडी डबवाली	2053/1 मिन, 2056 मिन		
3	बहुभुज संख्या 1479	1.44	रानिया	856 मिन, 1061 मिन, 1062, 1063, 1064 मिन।	नगरपालिका रानिया	
4	बहुभुज संख्या 1502	2.53	रानिया	181 / / 22 / 2मिन, 23 / 2 मिन, 234 / / 2 / 1 मिन, 2 / 2 मिन, 3 / 1 मिन, 3 / 2 मिन।		

उपरोक्त क्षेत्र/कालोनी की परिसीमाएं संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तुत की गई अनुमोदित अभिन्यास योजना में निर्दिष्ट की गई है और संबंधित मण्डल आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों द्वारा विधिवत् सिफारिश की गई है। हाई टेंशन लाइन या गैस / पेट्रोलियम पाइप लाइन से प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भूखंडों, अभिन्यास योजना और विकास योजना में दिखाई गई प्रस्तावित सड़क, हरित पट्टी / प्रतिबंधित पट्टी के संरेखण पर, हाई टेंशन लाइन को हटाने और विकास योजना में संशोधन तक इस अधिसूचना के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।

नगरपालिकाएं संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के उपबंधों और सरकार के निर्देशों के अनुसार अधिसूचित कालोनी / बहुभुज की गलियों / सड़कों को सार्वजनिक गली घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करेंगी।

आवासीय उपयोग के लिए अनुमति मांगने तक वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत और आवासीय से भिन्न अन्य उपयोगों पर इस अधिसूचना के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।

अरुण कुमार गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 14th January, 2026

No. 09/05/2026-4CII.— In exercise of the powers conferred under section 3 of the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 (14 of 2016), the Governor of Haryana hereby declares the following areas as specified in the Schedule given below to be the civic amenities and infrastructure deficient areas, namely: -

SCHEDULE

S. No.	Name of Colony	Area of colony (In Acres)	Revenue	Estate/Khasra No.	Municipality Name	District
1	1564 (Friends Colony area)	2.19	Mandi Dabwali	712min, 1980min, 1983min	Municipal Council Mandi Dabwali	Sirsa
2	1572 (Vivekanand Colony)	0.54	Mandi Dabwali	2053/1min, 2056min		
3	Polygon no. 1479	1.44	Rania	856min, 1061min, 1062, 1063, 1064min.	Municipal Committee Rania	
4	Polygon no. 1502	2.53	Rania	181 //22/2min, 23/2min, 234 //2/1min, 2/2 min, 3/1min, 3/2 min.		

The boundaries of the above area/ colony are indicated in the approved layout plan submitted by the concerned municipalities and duly recommended by the Divisional Commissioners and District Municipal Commissioners concerned. The plots falling under influence zone of high-tension line or gas/ petroleum pipeline, alignment of proposed road, green belt/ restricted belt shown in layout plan and Development Plan shall not be considered under this notification till removal of high-tension line and revision in Development Plan.

The Municipalities shall initiate procedure for declaring street/roads of the notified colony/polygon, as public street as per the provisions of the respective Municipal Acts and instructions from the Government.

The commercial, industrial, institutional and uses other than residential shall not be considered under this notification till seeking permission for residential use.

ARUN KUMAR GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.